पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009-11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2009 ई0 (चैत्र 07, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–13

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	79–107	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	105	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	7–13	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त विभाग

अधिसूचना

26 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 133/XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/2009–उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 13, 2008) की धारा 16, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (समय–समय यथा संशोधित) का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं–

(1) इन नियमों में, जब तक कि विषय अथवा सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. व्यौहारी का पंजीकरण–

(1) कोई व्यौहारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है तथा पहले से ही उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीकृत है, अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र देने के लिए दायी नहीं होगा तथापि, उससे धारा 8 के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी को प्ररूप–क में सूचना प्रेषित करना अपेक्षित होगा।

(2) कोई व्यौहारी जो उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीकृत नहीं है तथा अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए उस तारीख से, जिससे ऐसा व्यौहारी इस प्रकार दायी हो गया है, के तीस दिन की अवधि के भीतर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन विहित प्ररूप–1 में रु० 200/–(दो सौ रुपया) पंजीयन फीस के जमा के साक्ष्य के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देगा :

परन्तु यह कि व्यौहारी जो विहित समय के भीतर पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र देने में असमर्थ रहता है, अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस उपनियम में ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए रु० 100/– (एक सौ रुपये) की दर से विलम्ब फीस जमा करने के बाद प्रार्थना–पत्र दे सकता है।

(3) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थना–पत्र व्यवस्थित रूप में है, दी गयी सूचना सही एवं पूर्ण है तथा फीस अथवा विलम्ब फीस, यदि कोई हो, जमा कर दी गयी है, तो वह, जब तक कि जमानत मांगना आवश्यक न समझे, ऐसी जांच, जैसी कि ठीक समझे, करने के बाद व्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है तथा प्ररूप–ख में पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकता है।

(4) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जमानत मांगी गयी है तो ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधान होने पर जमानत जमा करने के बाद ही व्यौहारी को पंजीकृत किया जायेगा तथा पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) पंजीयन प्रार्थना–पत्र के मंजूर किये जाने, संशोधन तथा निरस्त किये जाने अथवा पंजीयन प्रार्थना–पत्र के अस्वीकार किये जाने अथवा जमानत की मांग हेतु उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 15, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(6) पंजीयन प्रमाण–पत्र का निरस्तीकरण ऐसे व्यौहारी के द्वारा किसी अवधि के लिए कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य देयों के भुगतान के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ऐसे कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य किसी देय का निर्धारण निरस्तीकरण से पूर्व अथवा बाद में किया जाये।

4. विवरणियों का प्रस्तुतिकरण तथा कर निर्धारण–

(1) प्रत्येक व्यौहारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, कर निर्धारक प्राधिकारी को कर अवधि के लिए अपनी विवरणी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्ररूप–ग में दाखिल करेगा।

(2) विवरणियों, वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतिकरण तथा कर निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 11 तथा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 25 एवं 26 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित अधिनियम के अधीन सभी व्यौहारियों पर लागू होंगे।

(3) कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में व्यौहारी के माल के सकल मूल्य तथा धारा 5 के अधीन कर के विलोमितिकरण की धनराशि का अवधारण करेगा तथा देय कर एवं विलोमित कर, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा :

परन्तु यह कि ऐसे व्यौहारी के मामले में, जो कि किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार बन्द करता है, कर निर्धारक प्राधिकारी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व कर निर्धारण आदेश पारित कर सकता है तथा देय कर एवं विलोमित कर का निर्धारण कर सकता है :

परन्तु यह और कि माल के सकल मूल्य तथा विलोमित कर की धनराशि का सर्वोत्तम न्याय एवं विवेक के आधार पर अवधारण करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी, व्यौहारी द्वारा दाखिल विवरणियों, यदि कोई हों, के स्वीकार न किये जाने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा तथा उसका उत्तर दाखिल करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(4) यदि व्यौहारी द्वारा जमा किये गये कर की कुल धनराशि निर्धारित कर की धनराशि से भिन्न है तो कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तर की धनराशि/वसूल अथवा, जैसी भी स्थिति हो, जमा की जायेगी।

5. कर के उद्ग्रहण का विलोमितिकरण–

(1) राज्य के भीतर संव्यवहारों के मामले में कोई व्यौहारी जो कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) तथा (ङ) के अधीन कर के उद्ग्रहण के विलोमितिकरण का दावा करता है, क्रेता अथवा परेषती व्यौहारी से प्ररूप–घ में प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा और उसके मूल भाग को प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित अवधि की समाप्ति के बाद तीन माह के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को दाखिल करेगा :

परन्तु यह कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सम्बन्धित व्यौहारी पर्याप्त कारणों से उपरोक्त समय के भीतर ऐसे प्रमाण–पत्र देने में असमर्थ था तो वह ऐसे प्रमाण–पत्र को ऐसे अग्रतर समय, जो कि वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु विहित समय के बाद न हो, ऐसे प्रमाण–पत्र को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 30 के उपनियम (2) से उपनियम (16) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) उपनियम (1) के अधीन विहित एक एकल प्ररूप में अधिकतम 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष के दौरान किये गये संव्यवहार आच्छादित होंगे किन्तु यह मौद्रिक सीमा निम्नलिखित प्रकार के व्यौहारियों पर लागू नहीं होगी :–

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का कोई विभाग, किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा उत्तराखण्ड अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित अथवा गठित कोई निगम अथवा उपक्रम अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसका वार्षिक आवर्त 5 करोड रुपये अथवा अधिक हो, अथवा

(ख) व्यौहारी, जिसका सालाना आवर्त 25 करोड रुपये अथवा अधिक है।

(4) अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के मामले में कोई व्यौहारी, जो कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) तथा (ङ) के अधीन कर के विलोमितिकरण का दावा करता है, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उपनियम (1), (5), (10), (11) तथा (11क), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी को दाखिल किया गया घोषणा–पत्र अथवा प्रमाण–पत्र कर के विलोमितिकरण का पर्याप्त सबूत होगा।

(5) कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2007 के नियम 41, 42, तथा 43 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

8. भुगतान की रीति–

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 19 तथा 20 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान की रीति के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

7. विनिर्माता द्वारा कर वसूली तथा जमा किया जाना–

उत्तराखण्ड का विनिर्माता जो कि उत्तराखण्ड में किसी व्यक्ति को धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित माल का विक्रय, सम्प्रेषण अथवा अन्यथा प्रेषण करने के लिए जिम्मेदार है–

(क) वह सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के नाम माल के मूल्य पर देय कर की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त करेगा और उसे राजकीय कोषागार में अगले उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख, से पूर्व जमा करेगा;

परन्तु यह कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 20 तारीख तक संग्रहीत कर उस माह की 25 तारीख तक जमा किया जायेगा;

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी को अगले उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व ऐसे आवर्त की मासिक विवरणी फार्म (ङ) में उसके अनुलग्नक में विस्तृत सूचना देते हुए कर जमा करने के सबूत हेतु कोषागार चालान के साथ दाखिल करेगा,

(ग) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 60 में विनिर्दिष्ट बिक्री बीजक व्यौहारी अथवा व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को जारी करेगा, जिसमें प्रवेश कर अलग से दिखाया जायेगा;

(घ) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 60 में विनिर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा जारी बिक्री बीजक अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान का पर्याप्त सबूत माना जायेगा।

प्ररूप–क

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीयन सम्बन्धी सूचना देने के लिए प्ररूप।

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी,
सर्किल/सेक्टर.....

मैं, ... (पूरा नाम), पुत्र श्री ..... (पूरा नाम) स्वामी/फर्म का साझीदार/हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब का कर्ता/प्रबन्ध निदेशक/लिमिटेड कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशक/सोसाइटी का अध्यक्ष अथवा सचिव/क्लब अथवा संगम (एसोसिएशन)/कार्यालयाध्यक्ष/व्यौहारी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से अधिकृत अधिकारी/प्राधिकारी अथवा निकाय (बॉडी) के प्रधान अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिकृत प्रधान अधिकारी अथवा अधिकारी जो सर्वश्री.....के नाम तथा अभिनाम के अन्तर्गत कारबार चला रहे हैं जिसका कारबार का मुख्य स्थल.....(पूर्ण पता) पर आपके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित है तथा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीकृत है और मेरी पंजीयन संख्या.....है जो कि.....से वैध है।

अधिनियम के अधीन कर देय माल का विवरण :

प्रयोजन	माल का नाम
1–उपभोग के प्रयोजनार्थ	.....
2–उपयोग के प्रयोजनार्थ	.....
3–विक्रय के प्रयोजनार्थ	.....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रार्थना–पत्र में दिये गये विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से सही एवं पूर्ण हैं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर .....

व्यौहारी के सम्बन्ध में प्रास्थिति.....

स्थायी पता.....

.....

स्थान .....

दिनांक .....

प्ररूप–ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (3) देखें]

प्रतिपर्ण

पंजीयन संख्या.....

व्यौहारी का नाम.....

कारबार का मुख्य स्थल.....

शाखाएं :

(1).....

(2).....

(3).....

प्रार्थना–पत्र की तारीख.....

प्रमाण–पत्र स्वीकृति की तारीख.....

कर निर्धारक प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....

कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम.....

सर्किल/खण्ड.....

प्ररूप–ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (3) देखें]

व्यौहारी की प्रति

धारा 9 के अधीन पंजीयन का प्रमाण–पत्र

पंजीयन संख्या.....

मैं, कर निर्धारक प्राधिकारी सर्किल/खण्ड.....
एतद्द्वारा सर्वश्री.....को.....से प्रभावी, पंजीकृत करता हूं। पंजीयन प्रमाण–पत्र कारबार के बन्द होने अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, तक प्रवृत्त रहेगा। कारबार का मुख्य स्थल.....पर स्थित है और कारबार सर्वश्री.....के नाम तथा अभिनाम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। शाखाएं निम्नवत् हैं :–

(1).....

(2).....

(3).....

तारीख.....हस्ताक्षर.....

मुहर.....

कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम.....

सर्किल/खण्ड.....

प्ररूप—ग

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

कर विवरणी मासिक/त्रैमासिक

(केवल बड़े अक्षरों में भरा जाय)

1.	कर निर्धारण वर्ष	—					—			
2.	को समाप्त होने वाली कर अवधि	—					—			
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पदनाम	—					—			
4.	सर्किल/खण्ड का नाम	—					—			
5.	व्यौहारी/फर्म का नाम/पता	—					—			
6.	करदाता की पहचान (टिन) संख्या	—					—			

7. स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति एवं कर की संगणना :

क्र0 सं0	माल का नाम	स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति एवं कर का ब्यौरा				
		उत्तराखण्ड के बाहर से	स्थानीय क्षेत्र के बाहर से किन्तु उत्तराखण्ड के भीतर	स्थानीय क्षेत्र के भीतर से		
		धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन यथा–परिभाषित माल का मूल्य (रु0 में)	विनिर्माता से	अन्य से	विनिर्माता से	अन्य से
			माल का मूल्य (रु0 में)	धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन यथापरिभाषित माल का मूल्य (रु0 में)	माल का मूल्य (रु0 में)	धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन यथा–परिभाषित माल का मूल्य (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
योग						

स्थानीय क्षेत्र में प्राप्त माल का कुल मूल्य एवं उस पर कर का ब्यौरा :

माल का मूल्य (रु० में)	कर की दर	कर की धनराशि	छूट (रिबेट) का दावा, यदि कोई हो	विनिर्माता को भुगतान किया गया कर	कोषागार में भुगतान किया गया कर	शेष
8(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14[10–(11+12+13)]

8. उपभोग, उपयोग, विक्रय अथवा अन्यथा निस्तारित माल का ब्यौरा :

क्र० सं०	माल का नाम	व्यौहारी द्वारा उपभोग, उपयोग, विक्रय अथवा अन्यथा निस्तारित माल का ब्यौरा				
		अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान अथवा निर्यात के दौरान अथवा विक्रय के अन्यथा माल का प्रन्तरण	उत्तराखण्ड के भीतर किन्तु स्थानीय क्षेत्र के बाहर विक्रय	स्थानीय क्षेत्र के भीतर विक्रय	उपभोग अथवा उपयोग किये गये माल का मूल्य	धारा 5 की उपधारा(1) के खण्ड (क), (ग) तथा (ङ) तथा उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अन्यथा निस्तारित माल का मूल्य (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
योग						

9. जमा किये गये कर का ब्यौरा :

बैंक / शाखा का नाम	कोषागार चालान सं०	दिनांक	कर की धनराशि
योग	अंकों में		
योग	शब्दों में		

संलग्नक–

1–कोषागार चालान।

2–अनुलग्नक 'क'–क्रमांक 7 के स्तम्भ 3, 4, 5, 6 एवं 7 में प्रत्येक स्तम्भ के लिए क्रय के ब्यौरे के लिए।

3–अनुलग्नक 'ख'–क्रमांक 8 के स्तम्भ 3, 4, 5, 6 एवं 7 में प्रत्येक स्तम्भ के लिए विक्रय के ब्यौरे के लिए।

4–अनुलग्नक 'ख'–क्रमांक 7 के स्तम्भ 11 में दावाकृत छूट (रिबेट) के ब्यौरे के लिए।

घोषणा

मैं.....पुत्र, पुत्री, पत्नी.....प्रास्थिति.....(अर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार इत्यादि) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं और सत्यापित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से इस विवरणी में दिए गये सभी विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं और कोई भी बात न तो जानबूझकर छिपाई गई है और न गलत रूप से कही गयी है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

प्रास्थिति.....

अनुलग्नक–क

प्ररूप–ग के क्रमांक 7 के स्तम्भ 3, 4, 5, 6 तथा 7 के विरुद्ध क्रय की सूची.....कर अवधि..... से के लिए अलग से दाखिल किया जाना है।

1.	क्रेता व्यौहारी का नाम एवं पता											
2.	टिन											
3.	कर निर्धारण वर्ष	2	0		–							
4.	कर अवधि समाप्ति की तारीख			–			–	2	0			

5. क्रय का विवरण

क्र० सं०	विक्रयकर्ता व्यौहारी का नाम एवं पता	टिन	बिल / बिक्री बीजक / चालान सं०	तारीख	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक में दिखायी गयी मू०व०क० (वैट) की धनराशि	प्रवेश कर की धनराशि	रिबेट की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अधिकृत के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

व्यौहारी का नाम एवं पता.....

.....

.....

अनुलग्नक–ख

प्ररूप-ग के क्रमांक 8 के स्तम्भ 3, 4, 5, 6 तथा 7 के विरुद्ध क्रय की सूची.....कर अवधि..... से के लिए अलग से दाखिल किया जाना है।

1.	विक्रेता व्यौहारी का नाम एवं पता	
2.	टिन	
3.	कर निर्धारण वर्ष	2 0 –
4.	कर अवधि समाप्ति की तारीख	– 2 0

5. विक्रय का विवरण

क्र० सं०	क्रेता व्यौहारी का नाम एवं पता	टिन	बिल / बिक्री बीजक / चालान सं०	तारीख	वस्तु का नाम	माल की विक्रय कीमत मूल्य (रु० में०)	उत्समान क्रय धनराशि (रु० में०)	विलोमित कर, यदि कोई हो (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

व्यौहारी का नाम एवं पता.....

.....

.....

अनुलग्नक–ग

(क्रमांक 7 के स्तम्भ 11 में दावाकृत छूट (रिबेट) का ब्यौरा)

1	क्रेता व्यौहारी का नाम एवं पता	

2	टिन											
3	कर निर्धारण वर्ष	2	0									
4	कर अवधि समाप्ति की तारीख							2	0			

5	क्रय का विवरण								
क्र0 सं0	विक्रेता व्यौहारी का नाम एवं पता	टिन	बिल / बिक्री बीजक / चालान सं0	तारीख	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक में दिखायी गयी मू0व0क0 (वैट) की धनराशि	निहित प्रवेश कर की धनराशि।	दावाकृत छूट (रिबेट) की धनराशि, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

प्रास्थिति ....

व्यौहारी का नाम एवं पता ....

....

....

प्ररूप घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड शासन

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्र0सं0

प्रतिपूर्ण
(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण–पत्र)
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1–जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

2–जारी करने वाले अधिकारी का नाम

3–जारी करने वाले अधिकारी की मुहर

4–जारी करने की तारीख

5–व्यौहारी जिसको जारी किया गया, उसका नाम तथा पता (टिन)

6–अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या तथा इसके प्रभावी होने की तारीख

(व्यौहारी द्वारा भरा जायेगा)

1–मैं (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्या .... है जो ....से प्रभावी है।

2–मैं अग्रेतर प्रमाणित करता हूं कि उक्त फर्म ने सर्वश्री से बिल/बिक्री बीजक/चालान सं0 दिनांक से रु0 मूल्य का (माल का नाम लिखें) क्रय किया है/प्राप्त किया है तथा इस माल पर–

*(क) रु0......................कर मेरे द्वारा कोषागार चालान सं0........... तारीख द्वारा .... में (बैंक/शाखा/कोषागार/उपकोषागार का नाम एवं पता) भुगतान किया गया है।

*(ख) हमारी फर्म के ऊपर कर की देयता नहीं है क्योंकि माल सर्वश्री को बिक्री किया गया है तथा उनसे घोषणा–पत्र सं0 तारीख प्राप्त किया गया है

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक प्रास्थिति

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप—घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्र०सं०

द्वितीय प्रति
(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र)
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1 जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

2 जारी करने वाले अधिकारी का नाम

3—जारी करने वाले अधिकारी की मुहर

4 जारी करने की तारीख

5 व्यौहारी जिसको जारी किया गया, उसका नाम तथा पता (पिन)

6—अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड
(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन
एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या
तथा इसके प्रभावी होने की तारीख

(व्यौहारी द्वारा भरा जायेगा)

1 मैं (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्या .... है जो ....से प्रभावी है।

2 मैं अग्रेत्तर प्रमाणित करता हूं कि उक्त फर्म ने सर्वश्री से बिल/बिक्री बीजक/चालान सं० दिनांक .... से. ....रु० मूल्य का (माल का नाम लिखें) क्रय किया है/प्राप्त किया है तथा इस माल पर—

*(क) रु०. .... कर मेरे द्वारा कोषागार चालान सं०.......... तारीख. ....द्वारा ....में (बैंक/शाखा/कोषागार/उपकोषागार का नाम एवं पता) भुगतान किया गया है।

*(ख) हमारी फर्म के ऊपर कर की देयता नहीं है क्योंकि माल सर्वश्री. ... .को बिक्री किया गया है तथा उनसे घोषणा पत्र सं०. .... तारीख....... .... प्राप्त किया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक प्रास्थिति

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 के उपनियम (1) देखें

क्र0सं0

मूल प्रति

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1 जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ____________________

2 जारी करने वाले अधिकारी का नाम ____________________

3 जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ____________________

4 जारी करने की तारीख ____________________

5 व्यौहारी जिसको जारी किया गया, उसका नाम तथा पता (टिन) ____________________

6–अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या तथा इसके प्रभावी होने की तारीख ____________________

(व्यौहारी द्वारा भरा जायेगा)

1 मैं ______ (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्या .... है जो .... से प्रभावी है।

2 मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूं कि उक्त फर्म ने सर्वश्री ______ से बिल/बिक्री बीजक/चालान सं0 ______ दिनांक ______ से ______ रु0 मूल्य का ______ (माल का नाम लिखें) क्रय किया है/प्राप्त किया है तथा इस माल पर–

*(क) रु0 ______ कर मेरे द्वारा कोषागार चालान सं0 ______ तारीख ______ द्वारा ______ में (बैंक/शाखा/कोषागार/उपकोषागार का नाम एवं पता) भुगतान किया गया है।

*(ख) हमारी फर्म के ऊपर कर की देयता नहीं है क्योंकि माल सर्वश्री ______ को बिक्री किया गया है तथा उनसे घोषणा-पत्र सं0 .... तारीख......... प्राप्त किया गया है।

स्थान ______ हस्ताक्षर ______

दिनांक ______ प्रास्थिति ______

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप ड

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम (ख) देखें]

आवर्त की विवरणी जिस पर .... माह के लिए कर वसूल किया गया है

1 विनिर्माता का नाम

2—पूर्ण पता

3—विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम एवं प्रास्थिति (स्वामी, साझीदार, निदेशक इत्यादि)

4 वस्तु का नाम जिस पर कर वसूल किया गया

5—माह के दौरान सम्भरित माल के सकल मूल्य का योग

6 सम्भरित माल का मूल्य जिस पर कोई कर संग्रहित नहीं किया गया है (कारणों सहित)

7 -उस माल का मूल्य जिस पर कर संग्रहित किया गया है

8 संग्रहित कर की धनराशि

9—जमा किये गये कर की धनराशि

चालान सं0

तारीख ..

बैंक / शाखा का नाम

घोषणा

मैं .... जो फर्म सर्वश्री .... (स्वामी, साझीदार, निदेशक इत्यादि) के रूप में हूं, एतद्‌द्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास से सभी विवरण तथा आंकड़े जो कि इस विवरणी में दिये गये हैं सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर नहीं छिपाया गया है और न ही गलत रूप से कहा गया है।

स्थान ....

हस्ताक्षर

दिनांक ....

प्रास्थिति

अनुलग्नक

माह का आवर्त ..

क्र0सं0	व्यौहारी का नाम एवं पता	बिल / बिक्री बीजक संख्या	तारीख	माल का मूल्य (रु0 में)	वसूल किया गया कर	बैंक ड्राफ्ट की संख्या एवं तारीख
1	2	3	4	5	6	7

माल के सकल मूल्य एवं वसूल किया गया कर

संलग्नक

1 कोषागार चालान

हस्ताक्षर ..

प्रास्थिति

आज्ञा से

आलोक कुमार जैन,

प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no **133/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2009**, dated February 26, 2009 for general information

NOTIFICATION

February 26, 2009

No. 133/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2009—In exercise of powers conferred by section 16 of the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act 2008 (Act no 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act 1904 (U P Act no 1 of 1904) as applicable to the State of Uttarakhand and in supersession of the Uttarakhand The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Rules 1999 Adaptation and Modification Order 2007 as amended from time to time the Governor is pleased to make the following rules

THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS RULES 2009

1 Short Title and Commencement--

These Rules may be called The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules 2009

2 They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2 Definitions--

1 In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context

a) **"Act"** means the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act 2008

(b) **"Form"** means a form appended to these rules,

(c) **"Section"** means a section of the Act

2 Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act

3. Registration of dealer--

1 Any dealer who is liable to pay tax under the Act and is already registered under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act 1948) Adaptation and Modification Order 2002 or under the Uttarakhand The Uttaranchal Value Added Tax Act 2005 Adaptation and Modification Order 2007 shall not be liable to apply for registration under the Act However he shall be required to furnish the information in Form A to the assessing authority under section 8

2 Any dealer who is not registered under the Uttaranchal The Uttar Pradesh Trade Tax Act 1948 Adaptation and Modification Order 2002 or under the Uttarakhand The Uttaranchal Value Added Tax Act 2005 Adaptation and Modification Order 2007 and is liable to pay tax under the Act shall for issue of registration certificate apply to the assessing authority within a period of thirty days from the date on which such dealer has become so liable in Form I prescribed under the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules 2005 Adaptation and Modification Order 2007 along with proof of deposit of registration fee of two hundred rupees

Provided that a dealer who fails to apply for issue of registration certificate within the time prescribed without prejudice to any other liability under the Act may apply after depositing late fee at the rate of rupees one hundred for every month or part thereof from the date of expiry of the period referred to above in this sub-rule

3 If the assessing authority is satisfied that the application is in order the information furnished is correct and complete and the fee or late fee if any payable has been deposited he may unless he considers it necessary to demand security after making such enquiry as he deems fit register the dealer and grant him a certificate of registration in Form-B

4 If the assessing authority has demanded security the dealer shall be registered and be granted a registration certificate only if the security so demanded has been furnished to the satisfaction of such assessing authority

5 For grant amendment and cancellation of registration certificate or rejection of registration application or the demand of security the provisions of section 15 17 18 19 and 20 of the Uttarakhand The Uttaranchal Value Added Tax Act 2005, Adaptation and Modification Order 2007 shall *mutatis-mutandis* apply

(6) The cancellation of a certificate of registration shall not affect the liability of such dealer to pay the tax, penalty or any other dues due for any period whether such tax, penalty or any other dues are assessed before or after the cancellation.

4. Submission of returns and assessment of tax--

(1) Every dealer liable to pay tax under the Act, shall submit to the assessing authority his returns for a tax period in Form-C.

(2) For submission of returns, annual return and assessment of tax, the provisions of rule 11 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and section 25 and section 26 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall *mutatis-mutandis* apply to all dealers under the Act.

(3) Upon the expiry of the assessment year, the assessing authority after such enquiry as he may deem necessary, shall determine the aggregate value of the goods and amount of reversal of tax under section 5 of the dealer in respect of assessment year and shall assess the tax payable and reversal of tax, if any:

Provided that in the case of a dealer who discontinues business during any assessment year, the assessing authority may make an assessment order and assess the tax payable and reversal of tax before the expiry of the assessment year.

Provided further that, before determining the aggregate value of the goods and amount of reversal of tax to the best of his judgment, the assessing authority shall issue a show cause notice to the dealer for non-acceptance of the returns, if any, submitted by the dealer, and shall give him a reasonable opportunity of furnishing his reply thereto.

(4) If the tax assessed differs from the total amount of tax deposited by the dealer, the difference shall be realized or refunded, as the case may be, by the assessing authority in accordance with the provisions of the Act.

5. Reversal of levy of tax--

(1) In case of the transaction within the State, any dealer who claims reversal of levy of tax under clauses (a) [illegible] and (e) of sub-section (1) of section 5 shall obtain a certificate in Form-D from the purchasing or consignee dealer and submit the original thereof to the assessing authority within three months after the expiry of the period to which the certificate relates:

Provided that if the assessing authority is satisfied that the dealer concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such certificate within the aforesaid time, he may allow such certificate to be furnished within such further time, not later than the time prescribed for filing annual return.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the provisions of sub-rule (2) to sub-rule (16) of rule 30 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall *mutatis-mutandis* apply.

(3) A single Form prescribed under sub-rule (1) shall cover the transaction made during the financial year subject to maximum monetary limit of rupees five lakhs, but this monetary limit shall not apply for the following types of dealers:-

(a) a department of the Central Government or the State Government or a Corporation or Undertaking established or constituted by or under a Central Act or an Uttarakhand Act or a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, having any yearly turnover of rupees five crores or more; or

(b) dealer having an yearly turnover of rupees twenty five crores or more.

(4) In case of Inter State trade and commerce or export out of the territory of India, any dealer who claims the reversal of tax under clauses (a), (b), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5, the declaration or certificate submitted under sub-rules (1), (5), (10), (11) and (11a) of rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, as the case may be, to the assessing authority shall be the sufficient proof of the reversal of tax.

5. For the purpose of the reversal of tax levy, the provisions of rule 41, 42 and 43 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall *mutatis mutandis* apply.

6. Manner of Payment–

The Provisions of rules 19 and 20 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall *mutatis mutandis* apply for manner of payment of tax due under the Act.

7. Realisation and deposit of tax by the manufacturer–

The manufacturer [illegible] selling, supplying or otherwise dispatching the goods [illegible]ed by the State Government under sub-section [illegible] of section 12, to any person in Uttarakhand shall–

(a) receive the [illegible] of tax payable on the value of goods through a demand draft in the name of the concerned assessing authority and shall deposit the same into the Government Treasury on or before 20th date of the next succeeding month.

Provided [illegible] the tax so collected upto 20th of March for the tax period ending on 31st of March shall be deposited upto 25th of that month.

(b) submit [illegible] the assessing authority on or before 20 date of next succeeding month, a monthly return of such [illegible] in Form E, giving detailed information in the Annexure thereof, along with the Treasury challan for proof of the deposit of the tax.

(c) issue a sale invoice specified in section 60 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 to the dealer or the person, as the case may be, in which entry tax shall be shown separately.

(d) the sale invoice issued by the manufacturer [illegible] as specified in section 60 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) [illegible] Order, 2007 shall [illegible] as sufficient proof of payment of tax due under [illegible]

Form-A

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 3 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules 2009]

Form for giving information regarding registration under the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act 2005) Adaptation and Modification Order, 2007

To,

The Assessing Authority,
Circle/Sector

I (Full Name) son of Full Name Proprietor Partner of the Firm/Karta of Hindu Joint Family/Managing Director authorised by the Board of Directors of the limited Company/President or Secretary of the Society/Club or Association Head of Office/Office duly authorised by the Head of the Office of the Department of the Central or State Government-Dealer/Principal Officer or Officer duly authorised by the Principal Officer of the authority or the Body carrying on the business under the name and style of Sarvashri the principal place of business whereof is situated at complete address) within your jurisdiction is registered under The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act 2005) Adaptation and Modification Order 2007 and my registration number is which is valid from

Particulars of the goods liable to tax under the Act--

Purpose	Name of Goods
1 for the purpose of consumption	
2 for the purpose of use	
3 for the purpose of sale	

I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief

Signature of applicant

Status in relation to the dealer

Permanent Address

Place

Date

Form-B

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[*See* sub-rule (3) of rule 3 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Counterfoil

Registration No

Name of dealer

Principal place of business

Branches

(1)

(2)

(3)

Date of Application

Date of grant of the certificate

Signature of assessing authority

Name of assessing authority

Circle/Sector

Form-B

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[*See* sub-rule (3) of rule 3 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Dealer's copy

Certificate of registration under section 8

Registration No

I, assessing authority of .. Circle do hereby register M/s. with effect from The registration shall remain inforce till the date of closer of business or the date of cancellation of registration as the case may be

The principal place of business is situated at and the business carried on under the name and style of M/S

There are the following branches --

1

2

3

Date Signature

Seal Name of assessing authority

Circle Sector

Form-C

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

See sub rule (1) of rule 4 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules 2009

Return of Tax-monthly/quarterly

[To be filled in block letters only]

1	Assessment year	–					–				
2	Tax period ending on										
3	Designation of Assessing Authority										
4	Name of Circle/Sector										
5	Name Address of the Dealer/Firm										
6	Taxpayer's Identification Number (TIN)										

7 Receipt of goods into local area and calculation to Tax

S No	Name of goods	Receipts of goods into local area and details of Tax				
		From Ex Uttarakhand	From outside the local area but within Uttarakhand	From within local area		
		Value of goods as defined under clause (h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]	From manufacturers Value of goods [in Rs.]	From others Value of goods as defined under caluse(h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]	From manufacturers Value of goods [in Rs.]	From others Value of goods as defined under caluse(h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]
1	2	3	4	5	6	7
Total						

Total value of goods received into local area and details of tax thereon

Value of goods (in Rs.)	Rate of Tax	Amount of Tax	Rebate claimed, if any	Tax paid to manufacturer	Tax paid in to treasury	Balance
8(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14[10 (11+12+13)

8 Details of goods consumed, used, sold or otherwise disposed

S. No	Name of goods	Consumption use sale or otherwise disposal of goods by dealer				
		Sale in the course of inter State trade and commerce or in the course of exports or transfer of goods otherwise than by way of sale	Sale within Uttarakhand but outside local area	Sale within local area	Value of goods consumed or used	Value of goods otherwise disposed as specified in clause (a) to (d) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 5
1	2	3	4	5	6	7
	Total					

9 Details of Tax Deposited

Name of Bank, Branch	Treasury Challan No.	Date	Amount of Tax
Total	in figure		
Total	in words		

Enclosures–

1 Treasury Challan

2 Annexure A for details of purchase in column 3, 4, 5, 6 and 7 of serial 7 separately for each column

3 Annexure B for details of sale in column 3, 4, 5, 6 and 7 of serial 8 separately for each column

4 Annexure B for details of rebate claimed in column 11 of serial 7

DECLARATION

S/o, D/o, W/o Status (i.e. proprietor, director, partner etc.) do hereby declare and verify that to the best of my knowledge and belief all the statements and figures given in this return are true and complete and nothing has been wilfully omitted or wrongly stated.

Place Signature

Date Status

Annexure-A

List of purchases against Col. 3,4,5,6,7 of serial no. 7 of Form C to be filed separately for the Tax Period of Year 20 . 20 .)

1 Name and address of purchasing dealer	

2 TIN											
3 Assessment Year	2	0									
4 Expiry Date of Tax Period							2	0			

5 Details of Purchase

S No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Sale invoice challan no.	Date	Name of Commodity	Value of Goods	Amount of VAT shown in the sale invoice	Amount of Entry Tax	Amount of Rebate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Authorised person

Full Name

Status

Name and Address of Dealers

Annexure-B

List of purchases against Col 3/4/5/6/7 of serial no. 8 of Form C to be filed separately for the Tax Period .... of Year 20 .... 20 ....)

1. Name and address of purchasing dealer	
2. TIN	
3. Assessment Year	2 0
4. Expiry Date of Tax Period	2 0

5. **Details of Sales**

S. No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill sale invoice challan no.	Date	Name of Commodity	Sale price of Goods (in Rs.)	Corresponding purchase amount (in Rs.)	Reversal of Tax if any (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of Authorised person

Full Name

Status

Annexure-C

(Details of Rebate claimed in Col. 11 of Sl. No. 7)

1 Name and address of purchasing dealer	
2 TIN	
3 Assessment Year	2 0
4 Expiry Date of Tax Period	2 0

S N	Details of Purchase								
	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill/sale invoice/challan no	Date	Name of Commodity	Value of Goods	Amount of VAT shown in the sale invoice	Amount of Entry Tax involved	Amount of Rebate if any
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Authorised person

Full Name

Status

Form-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Sl. No.

COUNTERFOIL

(Certificate to be issued by the purchaser to seller)

(To be filled by the office)

1. Signature of issuing officer
2. Name of issuing officer
3. Seal of the issuing officer
4. Date of issue
5. Name and Address of the dealer to whom issued (TIN)
6. Registration Number under the Act or under The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order 2007 and the date from which it is effective

(To be filled by the dealer)

1. name certify that said firm is registered under the Act, The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act) Adaptation and Modification Order 2007 and its registration number is which is effective from

I hereby certify that the said Firm has purchased/received (name of the goods) worth Rs. from M/s vide sale invoice/challan number dated and on these goods

*(a) tax rupees has been paid by me vide Treasury Challan Number Date Name and Address of the Bank Branch/Treasury/Sub-Treasury

*(b) tax liability is not on our Firm because the goods have been sold to M/s and Declaration Form No. dated has been received from him

Place Signature

Date Status

*Strike off whichever is not applicable

Form-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Sl. No.

DUPLICATE

(Certificate to be issued by the purchaser to seller)

(To be filled by the office)

1. Signature of issuing officer

2. Name of issuing officer

3. Seal of the issuing officer

4. Date of issue

5. Name and Address of the dealer to whom issued (TIN)

6. Registration Number under the Act or under The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective

(To be filled by the dealer)

I (full name), do hereby certify that our said Firm is registered under the Act/The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and its registration number is which is effective from

2. I further certify that the said Firm has purchased/received (name of the goods) worth Rs. from M/s vide bill/sale invoice/challan number dated and on these goods-

*(a) tax rupees has been paid by me vide Treasury Challan Number Dated in (Name and Address of the Bank/Branch/Treasury/Sub-Treasury)

*(b) tax liability is not on our Firm because the goods have been sold to M/s and Declaration Form No. dated has been received from him.

Place Signature

Date Status

*Strike off whichever is not applicable

Form-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Sl. No.

ORIGINAL

(Certificate to be issued by the purchaser to seller)

(To be filled by the office)

1. Signature of issuing officer

2. Name of issuing officer

3. Seal of the issuing officer

4. Date of issue

5. Name and Address of the dealer to whom issued (TIN)

6. Registration Number under the Act or under The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective

(To be filled by the dealer)

[illegible] name [illegible] certify that our said Firm is registered under the Act/The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax [illegible]) Adaptation and Modification Order, 2007 and its registration number is [illegible] which is effective from

[illegible] certify that [illegible] said Firm has purchased/received [illegible] (name of the goods) worth Rs. [illegible] from M/s [illegible] vide sale invoice/challan number [illegible] dated [illegible] and on these goods

*[illegible] tax rupees [illegible] has been paid by me vide Treasury Challan Number [illegible] Dated [illegible] in (Name and Address of the Bank/Branch/Treasury/Sub-Treasury)

*[illegible] tax liability is not on our Firm because the goods have been sold to M/s [illegible] and Declaration Form No. [illegible] dated [illegible] has been received from him

Place Signature

Date Status

*Strike off whichever is not applicable

Form-E

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

(See sub-rule [illegible] of rule 7) The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009

Return of the turnover on which tax has been realized for the month of

1. Name of the Manufacturer
2. Full address
3. Name and status of the person submitting the return (i.e. Proprietor, Partner, Director etc.)
4. Name of commodity on which tax has been realized
5. Aggregate of the value of the goods supplied during the month
6. Value of goods supplied on which no Tax has been collected (with reasons)
7. Value of goods on which Tax has been collected Rs.
8. Amount of Tax collected Rs.
9. Amount of Tax deposited Rs.

Challan No.

Dated

Name of the Bank/Branch

Declaration

I, being known as the (Proprietor, Partner, Director etc.) of the firm M/s do hereby declare and verify that to the best of my knowledge and belief all the statements and figures given in this return are true and complete and nothing has been wilfully omitted or wrongly stated.

Place Signature

Date Status

Annexure

Turnover of the month of

S. N.	Name and address of the dealer	Bill sale invoice no.	Date	Value of goods (in Rs.)	Tax realised	Number and date of bank draft
1	2	3	4	5	6	

Aggregate of the value of goods and tax realised

Enclosure

1. Treasury Challan

Signature

Status

By Order

ALOK KUMAR JAIN

Principal Secretary, Finance

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 हिन्दी गजट / 151 भाग 1 2009 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2009 ई० (चैत्र 07, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1-क

[illegible] के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किए.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

March 09, 2009

No. 28 XIV 7 Admin A 2008 [illegible] and 15.02.2009 as Second Saturday and Sunday holidays.

March 09, 2009

No. 29 UHC XIV 87 Admin A [illegible]

By Order of Hon'ble the Administrative Judge

Sd.

PRASHANT JOSHI

Registrar (Inspection)

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 हिन्दी गजट/151-भाग 1-क-2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या यू०ए०/डी०ओ०/डीडीएन०/30/2009-11
बिनाप्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2009 ई० (चैत्र 07, 1931 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद् टिहरी, टिहरी गढ़वाल

05 दिसम्बर, 2008 ई०

[illegible] कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

उप–नियम

1 [illegible] कहलायेंगी।

2 यह संशोधित नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[illegible] पालिका परिषद् टिहरी से तात्पर्य [illegible] पालिका परिषद् टिहरी, टिहरी गढ़वाल से है

4 अध्यक्ष से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, टिहरी के अध्यक्ष से है।

5 अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् टिहरी के अधिशासी अधिकारी से है।

6 कर एवं राजस्व निरीक्षक से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् टिहरी के कर एवं राजस्व निरीक्षक से है

7 कोई भी व्यक्ति नगर पालिका टिहरी की सीमा के अन्तर्गत पालिका की स्वीकृति से फड़ गाड़ी या जानवर तथा पहिये पर घूमने वाला स्टाल (ठेला) ठेली या जमीन पर बैठकर कोई व्यवसाय अस्थाई रूप से करेगा या कोई व्यवसायी अपनी दुकान के आगे सड़क/नाली/अथवा फुटपाथ पर सामान रख कर बिक्री करेगा उसे पालिका की तहबाजारी मे अंकित दरो के अनुसार फीस अदा करनी होगी किन्तु केवल सामान लादने या उतारने के लिये किसी व्यक्ति दुकान के सामने गाड़ी या जानवर खड़ा करने पर कोई फीस नही ली जाएगी।

8 प्रत्येक व्यक्ति जिस पर तहबाजारी फीस वाजिब होगी वह इस कार्य के लिये नियुक्त नगर पालिका के अधिकारी/कर्मचारी या ठेकेदार की माग करने पर तुरन्त अदायगी करेगा।

9 तहबाजारी की फीस वसूल हो जाने पर प्राप्त करने वाला व्यक्ति/कर्मचारी टिकट/कूपन फीस अदा करने वाले को दे देगा अवधि पूर्ण होने पर वह दुबारा नहीं दिया जाएगा और न उसका नवीनीकरण किया जाएगा।

10 प्रतिदिन आय का सिलसिलेवार मिलान काउन्टर फाईल के प्रत्येक पन्ने मे नियत किये गये स्थान पर लिखा जाएगा।

11 तहबाजारी के टिकट/रसीद पाने वाला व्यक्ति नगर पालिका परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी के द्वारा निरीक्षण के लिये टिकट/कूपन पेश करेगा।

12- निरीक्षण के बाद अधिकारी/कर्मचारी कूपन पर कर काउन्टर फाईल से मिलान के लिये अपने पास रख लेगा। और टिकट मे हस्ताक्षर करके उसके पाने वाले को वापिस कर देगा।

13 विशेष मेलो या त्यौहारो के अवसर पर अधिशासी अधिकारी दफा एक्ट 293 के अन्तर्गत विशेष स्थान नियत करके नीलाम अथवा इकरारनामे के द्वारा फीस नियत कर सकेगा नीलाम अथवा इकरारनामे के बगैर स्थान का उपयोग किये जाने पर इन उपनियमो के दिये गये शिडयूल मे नियत दरो से दुगनी दरो पर फीस वसूल की जायेगी।

14 उपनियम संख्या 01 से 13 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बगैर अधिशासी अधिकारी/कर निरीक्षक की आज्ञा प्राप्त किये नगर पालिका की सीमा के अन्दर किसी भी स्थान पर फड नही लगायेगा।

15 उप नियम संख्या 1 से 13 के अनुसार आज्ञा प्राप्त हो जाने पर फड बनाने वाला व्यक्ति फड के डिजाइन रंग आदि के विषय में दिये गये आदेशों का पालन करेगा।

16 ये उप नियम वर्तमान फडो व स्टालो पर भी लागू होगे जो दैनिक फीस पर दिये गये हों

17 उपरोक्त सभी उपनियम पटरी पर बैठ कर सामान बेचने वालो एवं घूमकर फेरी लगाने वालो पर भी लागू होगे और उनसे तहबाजारी वसूली जायेगी।

दण्ड

म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश किया जाता है कि उप नियम संख्या 1 से 17 तक का उल्लंघन करने पर रु0 500.00 तथा 1000.00 जुर्माना जैसी भी स्थिति हो वसूल किया जाएगा और यदि उल्लंघन की आवृत्ति निरन्तर जारी रहती है तो पृथक दण्ड के उपरान्त अपराधी पर जितने समय का अपराध साबित होगा जुर्माने की राशि 5 प्रतिशत प्रतिदिन बढाई जा सकेगी।

तालिका

क्र0सं0	विवरण	वर्तमान दरें (रु0)	संशोधित दरें (रु0)
01	फल सब्जी आदि 9 वर्ग फीट तक प्रति फड प्रति दिन	05.00	10.00
02.	घूमती फिरती ठेली आदि	05.00	10.00
03.	मोची	02.00	5.00
04.	मेला आदि 9 वर्ग फीट तक	15.00	30.00
05.	दुकानों खोकों के आगे लगाया गया सामान, तख्त, चारपाई पानी की टंकी, सीढ़ी, तराजू आदि	05.00	10.00
06	9 वर्ग फिट से 16 वर्ग फीट तक जमीन पर बैठने वाला फड	15.00	30.00
07	9 वर्ग फिट से 20 वर्ग फीट तक जमीन पर बैठने वाला फड	20.00	30.00
08.	दवाई जड़ी बूटी बेचने वाला	20.00	30.00
09	जादूगर मदारी खेल तमाशा विज्ञापन प्रचार आदि	10.00	20.00
10.	फेरी लगाने वाला	05.00	10.00
11	अन्य जिसका उल्लेख उपरोक्तों में वर्णित नहीं है	05.00	10.00

ह0 अस्पष्ट/–
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

ह0 अस्पष्ट/–
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् टिहरी, टिहरी गढवाल

24 दिसम्बर, 2008 ई0

पत्र सं0 1427/निर्माण सा0 शुल्क/2008–09– नगर पालिका परिषद टिहरी जिला टिहरी गढवाल अपनी सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रान्त अधिनियम 1916 जो कि उत्तराखण्ड पर भी लागू है की धारा 298 की उपधारा 1 व 2 में वर्णित सूची 1 के खण्ड 'ज' के शीर्षक 'ख' व खण्ड (ड) के शीर्षक (ज) के साथ पठित धारा 265 की

उपधारा (1) के शीर्षक (घ) व (च) एवं उपधारा (2) व (3) के अन्तर्गत तथा धारा 299 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लोक न्यूसेन्स उत्पन्न होने की दृष्टि से सड़कों पर बाधा नियन्त्रण तथा स्वच्छता एवं रोग निवारण/ नियमित करने/शुल्क वसूली हेतु उपनियम/उपविधि बनाये गये हैं। जिसको नगर पालिका परिषद् की बोर्ड बैठक दिनांक 05-05-2008 को प्रस्ताव सं0-10 से पारित किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा-1 के अनुसार उन व्यक्तियों के सूचनार्थ जिन पर इन उपविधि के प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उपनियमों का पाण्डुलेख प्रकाशित किया जाता है और यह भी सूचित किया जाता है कि इन नियमों/उपनियमों की विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव, नगर पालिका परिषद्, टिहरी के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

उप-विधि

1-यह उपविधि सड़कों पर बाधा नियन्त्रण नियमावली नगर सीमा में निर्माणकर्ताओं द्वारा अनावश्यक रूप से सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण सामग्री गिराये जाने पर शुल्क वसूली एवं स्वीकृति लेने व नालियों पर निर्माण सामग्री गिराये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्धित की गयी है। यह उपनियमावली सड़कों पर बाधा नियन्त्रण नियमावली कहलायेगी।

2-यह उपविधि/नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

3-नगर पालिका परिषद् टिहरी से "तात्पर्य" नगर पालिका परिषद् टिहरी, टिहरी गढ़वाल से है।

4 अध्यक्ष, से "तात्पर्य" नगर पालिका परिषद् टिहरी के "अध्यक्ष" से है।

5-अधिशासी अधिकारी से "तात्पर्य" नगर पालिका परिषद् टिहरी के "अधिशासी अधिकारी" से है।

6-प्रशासन से "तात्पर्य" नगर पालिका परिषद् टिहरी के "प्रशासन" से है।

7-कर एवं राजस्व निरीक्षक से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् टिहरी के कर एवं राजस्व निरीक्षक से है।

8-कोई भी व्यक्ति, निर्माणकर्ता, ठेकेदार नगर पालिका टिहरी की सीमा के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़कों व अन्य स्थानों पर बिना नगर पालिका की पूर्व स्वीकृति के तथा शुल्क अदा किये निर्माण सामग्री व मलबा आदि नहीं गिरायेगा।

9-स्वीकृति मात्र दो दिन के लिये होगी लेकिन वांछित शुल्क प्रति दिन के हिसाब से अदा करना होगा।

10-स्वीकृति के पश्चात् गिरायी गयी या गिराये जाने वाली निर्माण सामग्री व मलबे का शुल्क नाप के अनुसार अदा करना होगा।

11-शुल्क नगर पालिका द्वारा अधिकृत कर्मचारियों द्वारा लिया जाएगा।

12-शुल्क की अवधि पूर्ण होने पर रसीद दुबारा जारी नहीं होगी। अन्यथा पकड़े जाने पर दण्ड का भागीदार होगा।

13-नगर पालिका के कर निरीक्षक द्वारा जांच की जाएगी तथा सही न पाये जाने पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

14-स्वीकृति की अवधि पूर्ण होने पर अवशेष सामग्री निर्माणकर्ता/ठेकेदार को तुरन्त हटानी होगी।

15–यदि समय अवधि समाप्त होने पर निर्माणकर्ता/ठेकेदार द्वारा नहीं हटायी जाती तो नगर पालिका को अधिकार होगा कि स्वयं उक्त स्थान से निर्माण सामग्री, मलवा आदि का हटा देगी और सार्वजनिक बोली के द्वारा निलाम कर आंका गया शुल्क, मजदूरी तथा किराया भाड़े की धनराशि निलाम की गयी धनराशि से वसूल कर शेष धनराशि को नगद या बैंक ड्राफ्ट आदि जैसी भी स्थिति हो वापस कर दी जाएगी।

16–ट्रक/लारी आदि के चालक की जिम्मेदारी होगी की निर्माण सामग्री गिराने से पूर्व नगर पालिका की स्वीकृति एवं जमा किया गया या नही यदि शुल्क जमा नहीं किया गया और चालक जानबूझ कर अनदेखी करता है निरीक्षक द्वारा जांच करने पर पकड़ा जाता है तो शुल्क के साथ दण्ड भी अदा करना होगा।

17–कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार नाली पर निर्माण सामग्री व मलवा आदि नहीं गिरायेगा जिसकी स्वीकृति नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं दी जायेगी। यदि नाली पर निर्माण सामग्री गिरायी हुयी पायी गयी तो शुल्क व अर्थदण्ड दोगुना होगा तथा हटाने की मजदूरी भी देय होगी।

18–स्वीकृति हेतु सड़कों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। जिन पर निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

19–केन्द्र सरकार व राज्य सरकार एवं अण्डर टेकिंग व निगम आदि के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदार की निविदा स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार का नाम पते सहित नगर पालिका परिषद्, टिहरी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

1–मेन रोड हाई वे–केवल एक दिन के लिये

(अ)–डाईजर से होते हुये नई टिहरी चौराहा वहां से थाना व गैस गोदाम व गम्भीर सिंह कठैत पार्क व कमल के फूल एवं यातायात, पेट्रोल पम्प व वहां से वी पुरम को जाने वाली मेन रोड।

(ब)–मोलधार चौराहा से 5–ए मुख्य मार्ग से होते हुए नगर पालिका के सामने वाली रोड तथा डुंगीधार ऊपरवाली (जिला पंचायत कॉलोनी के नीचे होते हुये मुख्य मार्ग तक) व वहां से वी० पुरम एवं कोटी कॉलोनी को जाने वाली रोड।

2–शहर की सभी मुख्य सड़कें–केवल दो दिन–

(अ)–गैस औफिस चौराडी से मुख्य बाजार होते हुये मोलधार से जे ब्लॉक, एम ब्लॉक, होते हुये एच ब्लॉक होते हुये मुख्य बाजार चौराहे नई टिहरी।

(ब)–निरंकारी सतसंग भवन से 5 ए के नीचे टिन शैड केमसारी से होते हुये पीपली गांव से ऊपर मुस्लिम मोहल्ला से आगे नीलकण्ठ डिमरी के मकान तक।

(स)–डोभाल कन्ट्रोल की दुकान से विधायक पंवार जी के मकान के आगे से होते हुये निरंकारी सतसंग भवन के नीचे चौराहे तक पुनः 5 ए के ऊपर वाली रोड से होते हुये श्री दयाराम के खोके से आगे स्वीपर कॉलोनी से आगे मोलधार चौराहे तक।

(द)–7 डी चौराहे श्री रावत के खोके से चौहान मिष्ठान भण्डार के आगे गम्भीर सिंह चौहान, प्रधानाचार्य के मकान के नीचे होते हुये 5 ए दयाराम के खोके तक।

(ग)–बस अड्डा चौरीडी चौराहे से होते हुये गुनसोला मिष्ठान भण्डार के आगे श्री कर्म सिंह तोपवाल की दुकान के आगे वाली रोड से आगे 9 बी मस्जिद के नीचे वाली रोड।

(घ)–ढाईजर से होते हुये माननीय सी०जे०एम० न्यायालय के नीचे वाली रोड व वहां से पिकनिक स्पॉट वाली रोड से विकास भवन व जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय व माननीय जिला जज वाली रोड एवं विकास भवन से जिला कार्यालय तक तथा वहां से आगे कान्वेन्ट स्कूल के पीछे वाली रोड से जेल प्वाइन्ट होते हुये मेन रोड थाना कोतवाली तक।

(ङ)–चौराहा पर पुण्डीर के मकान से होते हुये नगर पालिका के सामने से डिमरी के मकान तक।

(फ)–चौहान जनरल स्टोर चौराहे से होते हुये पी०आई०सी० से ऊपर वाली रोड से श्री सुन्दर सिंह सजवाण के खोके तक।

3–मोहल्ले के लिंक मार्ग–केवल एक सप्ताह तक–

(अ)–उपरोक्त मार्गों के अलावा सभी मार्ग लिंक मार्ग में समझे जायं।

नोट–यदि कोई मुख्य मार्ग भविष्य में हाई वे मार्ग हो जाता है तो नगर पालिका संकल्प से हाई वे वाले नियम लागू करेगी तथा कोई लिंक मार्ग मुख्य में परिवर्तित होता है तो उसे भी नगर पालिका संकल्प से नियम लागू करवायेगी।

दण्ड

म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 299 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद, टिहरी निर्देश देती है कि उपर्युक्त किसी भी नियम/उपविधि के उल्लंघन करने का अर्थ दण्ड देय होगा जो रु० 1000/ (रु० एक हजार) तक हो सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर 6 प्रतिशत प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड देय होगा।

तालिका–दर

1–आम सड़क पर निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, रोडी, कंकरीट, पत्थर, व मलवा आदि) पर शुल्क (100 वर्ग फिट तक)–रु० 50/– प्रति ट्रक।

2–100 वर्ग फिट से अधिक रुपये 5/– प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त शुल्क देय होगा, जो दो दिन तक वैध होगा।

ह० अस्पष्ट/–
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

ह० अस्पष्ट/–
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

25 मार्च, 2009 ई०

विज्ञप्ति संख्या 1683/II–42–नगर पालिका परिषद्, नैनीताल में अपनी सीमान्तर्गत ट्रैफिक को नियंत्रित एवम् विनियमित करने हेतु बनायी गयी प्रचलित उपविधि में जो विज्ञप्ति संख्या 683/X139–एच, 14 फरवरी, 1917 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा जिसमें समय–समय पर संशोधन किया गया है।

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916, संशोधित उत्तरांचल (उत्तराखण्ड) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 लिस्ट I एच0(बी) और (एम) ई0 (बी) और 298 लिस्ट II एच (पी) और 299(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं। अतः उक्त एक्ट की धारा 301(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं :–

संशोधन

पृष्ठ संख्या 64–70

उपविधि सं0 12 (ए) में प्रचलित दर 25/– रु0 के स्थान पर 50/– रु0 एवं 50/– रु0 के स्थान पर 100/–रु0 प्रति वाहन प्रति फेरा किया जाना प्रस्तावित है। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रस्तर 12 के बाद प्रस्तर 13 निम्नवत् प्रस्तावित है :–

13–नगर पालिका परिषद्, नैनीताल नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों से शुल्क वसूलने हेतु स्वयं अथवा ठेके पर और अन्य रीति से वसूल की जा सकेगी।

शास्ति

पूर्व प्रचलित दर 500/– रु0 के स्थान पर 1000/–रु0 एवं 5/–रु0 के स्थान पर 25/–रु0 होगी।

मुकेश जोशी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/151–भाग 6–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।